यू॰ पी॰ बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106 / 107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26 / 2 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3 / 17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन / फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19 / 97 / 2017 **दिनांक :** 25.10.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों / अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

आईबीए के साथ द्विपक्षीय वार्ता

आईबीए के साथ वेतन पुनरीक्षण पर वार्ता का एक और दौर 24 अक्टूबर को सम्पन्न हुआ। इस विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र संख्या 28 / 32 / 2017 / 32 दिनांक 25.10.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

आईबीए के साथ 24.10.2017 को द्विपक्षीय वार्ता

03.10.2017 को हुए विचार–विमर्श से आगे, विचार–विमर्श का एक और दौर हमारी यूनियनों तथा आईबीए के मध्य कल अर्थात् 24.10.2017 को हुआ।

आईबीए की टीम में श्री राकेश शर्मा (प्रबन्ध निदेशक, केनरा बैंक तथा उप समिति के चेयरमैन), श्री बी राज कुमार, उप मुख्य कार्यकारी, आईबीए, श्री एम.के. गुप्ता, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, श्री पुनीत जैन, महाप्रबंधक, पीएनबी, श्री एच.सी. सती, महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, श्री टी.एस. शेषाद्री, महाप्रबंधक, इण्डियन बैंक, श्री अजय कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक, एसबीआई, श्री एस.के कक्कड़, वरिष्ठ सलाहकार, मानव संसाधन एवं औद्योगिक सम्बन्ध, आईबीए तथा श्री के.एस. चौहान, सलाहकार, आईबीए शामिल थे।

हमारी टीम का प्रतिनिधित्व साथी सी.एच. वेंकटचलम् तथा साथी बी.एस. रामबाबू (एआईबीईए), साथी एस. के. बन्दलीश तथा साथी विनील सक्सेना (एनसीबीई), साथी सी.जे. नन्दाकुमार (बैफी), साथी सुभाष सावंत (इन्बैफ) तथा साथी उपेन्द्र कुमार (एनओबीडब्लू) द्वारा किया गया।

विचार–विमर्श के इस दौर में भी, माँग पत्र में हमारे द्वारा उठाए गये मुद्दों पर आगे की चर्चा हुई।

आज की बैठक के दौरान चर्चा किये गए मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं :

अवकाश किराया छूट : वास्तविक यात्रा के दौरान दूरी मापदंड में कुछ सुधार, शताब्दी अथवा राजधानी रेलों द्वारा यात्रा के समय प्रतिपूर्ति, समग्र पात्रता के भीतर किए गए स्थानीय भ्रमण व्ययों की प्रतिपूर्ति, संशोधित सड़क लाभ दर, उत्तर पूर्वी राज्यों, अंडमान निकोबार तथा चरम उत्तर में दूर दराज इलाकों में

जारी पृष्ठ 2

जो रेल द्वारा जुड़े नहीं हैं, में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए अवकाश किराया छूट को शुरू करने के लिए शुरूआती बिंदु, एक ही बैंक में काम कर रहे पति तथा पत्नी के लिए अवकाश किराया छूट पात्रता, दो वर्ष अथवा चार वर्ष ब्लॉक के बीच चयन करने के लिए एक और विकल्प, आदि।

अवकाश लाभ : 24 वर्ष की सेवा के उपरांत रूग्णावकाश, अर्जित अवकाश का संचय और उसका नकदीकरण, अर्जित अवकाश का लाभ लेने के लिए नोटिस अवधि, अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ प्रसूति अवकाश का संयोजन, अवकाश बैंक शुरू करना, आदि।

अनुशासनात्मक कार्रवाई : अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया में संशोधनों के संबंध में हमारी मांगों को उठाया गया और इन मुद्दों की एक अलग उप–समिति में चर्चा करने का निर्णय लिया गया जिसमें श्री एम.के. गुप्ता, श्री अजय कुमार सिंह, साथी सी.एच. वेंकटचलम् तथा साथी एस.के. बन्दलीश शामिल हैं।

पेंशन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुद्दे : पेंशन सुधार और सेवानिवृत्तों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया और यह वांछनीय महसूस किया गया कि इस पर अन्य बैठक में चर्चा की जाए संयुक्त रूप से जबकि अधिकारी संगठन भी उपस्थित हों क्योंकि ये सामान्य मुद्दे हैं।

मकान किराया भत्ता : बैंकों को सभी लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों को आवास/ क्वार्टर प्रदान करने और इसके अभाव में मकान किराया भत्ते में काफी हद तक सुधार करने की आवश्यकता पर बहुत चर्चा हुई। परियोजना क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, आदि में क्वार्टर के प्रावधान से संबंधित मुद्दे भी उठाये गए थे। कुल वित्तीय लागत को अंतिम रूप देने के बाद इन मुद्दों पर आगे की चर्चा करने का निर्णय लिया गया चूंकि मकान किराया भत्ता में सुधार में अतिरिक्त लागत शामिल होगी।

स्वैच्छिक समाप्ति : प्रबंधन के अंतिम आदेशों के विरूद्ध प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने और ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए पात्रता के मुद्दे पर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निर्णय पर पहुंचने के लिए चर्चा की गई।

अवरोध वेतनवृद्धि : अतिरिक्त अवरोध वेतन वृद्धि और आवधिकता में कमी के लिए हमारी मांग पर विचार–विमर्श हुआ और वित्तीय निहितार्थ पर कार्य करने के बाद इस मुद्दे पर आगे चर्चा की जायेगी।

अगली बैठक : बैठक का अगला दौर **14.11.2017** को आयोजित किया जायेगा जब हमारे माँग पत्र पर आगे चर्चा होगी।

आईबीए–यूएफबीयू की पूर्ण नेगोशिएटिंग कमेटी की बैठक : आईबीए–यूएफबीयू की पूर्ण नेगोशिएटिंग कमेटी की बैठक **27.10.2017** को होने के लिए तय की गई है जबकि मुख्य मुद्दे जैसे कि संशोधित वेतनमान, पुनरीक्षित महंगाई भत्ता सूत्र, वेतन वृद्धि की मात्रा, आदि विचार विमर्श के लिए लिये जायेंगे।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,

ह0..

सी.एच. वेंकटचलम्

महामंत्री